THE MINISTER OF STATE (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (KUMARI SELJA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Centrally Protected Monuments and the adjoining lands are not allowed to be sold as per Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958 and Rules 1959.

Proposal to Promote Tourism and Develop Infrastructure

347. SHRI T. VENKATARAM REDDY:
SHRI G. PRATHAPA REDDY:

Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether it is a fact that ecology consiousness has become the base for any tourism development effort the world over;

(b) whether Government have a proposal under their consideration to promote tourism and develop infrastructure;

(c) if so, whether a comprehensive plan has been worked out covering all related issues in India; and

(d) if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) Yes Sir.

(b) to (d) Development of Tourism is primarily the responsibility of the State Governments. However, the Department of Tourism, Govt. of India provides financial assistance to State/UT Governments on the basis of specific proposals received from them. The development of tourism in the country is guided by the Tourism Policy of the Government which takes into account all relevant issues including ecology and environment.

Representation from Refugees Migrated from West Pakistan

348. SHRI JAGMOHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have been receiving representations regarding grant of citizenship rights, from West Pakistan refugees who migrated to the State of Jammu and Kashmir consequent to communal disturbance in mid-1947;

(b) whether, inspite of such representations, neither the State Government nor the Central Government have taken any action to redress their grievances;

(c) whether Government would take necessary measures to redress the long-standing grievances of the aforesaid persons who have been suffering grave disabilities on account of non-availability of citizenship rights; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI):

(a) West Pakistan Refugees have been representing to the State and Central Governments from time to time demanding that those who migrated from West Pakistan on the eve of partition and were allowed to reside in J & K, should be declared as permanent residents of the State under the J & K Constitution.

(b) to (d) The displaced persons of 1947 who migrated to some parts of State of J & K are Indian citizens. However, they are not permanent residents of the State of J & K in terms of the Constitution of J & K. In its judgement delivered in February, 1987 in a Writ Petition, the Supreme Court had observed that it is up to the State Legislature to make suitable amendments in the State laws to provide relief to these persons without amending the Constitution of J & K. Government is of

the view that it would be most appropriate if the amendment to the State Laws is left to the J & K State Assembly. However, it may be mentioned that except for the Constitutional status of permanent residents of the State, there is no bar on West Pakistan refugees on running an industry, plying of transport, obtaining commercial loans and setting up self-employment units.

शैक्षिक सुधारों के सम्बन्ध में रिपोर्ट

349. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत अर्ध दशक के दौरान शिक्षा संबंधी सुधारों से संबंधित लगभग 17 रिपोर्टें सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों/आयोगों द्वारा सरकार को सौंपी गई हैं;

(ख) कितनी समितियां/आयोग सरकार द्वारा गठित किए गए हैं और कितनों ने अपनी रिपोर्टें सरकार को सौंप दी हैं;

(ग) क्या सरकार ने रिपोर्टों की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो कितनी रिपोर्टों की किन-किन सिफारिशों को स्वीकार कर उन्हें क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है; और

(ङ) इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई एवं उसका कितना प्रतिशत निर्धारित अवधि में व्यय किया जा सका?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री) (कुमारी शैलजा): (क) से (घ) 1990-95 के दौरान शैक्षिक नीतियों और कार्यक्रमों के सम्बन्ध में विभिन्न पहलुओं में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा नई समितियां/आयोग स्थापित किए गए हैं। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिसमें शिक्षा के संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को शामिल किया किया गया है, वह है आचार्य राम मूर्ति की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति समीक्षा समिति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति. 1986 की समीक्षा, जिसकी रिपोर्ट 9 जुलाई, 1991 को संसद में रख दी गई थी। इस रिपोर्ट पर श्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की नीति सम्बन्धी समिति द्वारा आगे विचार किया गया जिसने अपनी रिपोर्ट 22 जनवरी, 1992 को प्रस्तुत कर दी थी। इन रिपोर्टों पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा विचार किया गया जिसने मोटे तौर पर नीति के साथ सहमति व्यक्त करते हुए कुछ संशोधनों की सिफारिश की थी। तदनुसार, संशोधित नीति गत सूत्रों को 7 मई, 1992 को सदन के सभा पटल पर रख दिया गया था। इसके अलावा, संशोधित कार्ययोजना, 1992 को भी 19 अगस्त, 1992 को सदन के सभा पटल पर रख दिया गया था।

(ङ) शिक्षा के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा शुरू किए गए बड़े कार्यक्रमों के लिए किए गए वित्तीय नियतनों का ब्यौरा विभाग के कार्य बजटों और वार्षिक रिपोर्टों में दिया गया है।

यशपाल समिति की सिफारिशें

350. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की की कृपा करेंगे कि:

(क) बच्चों के ऊपर स्कूली बस्ते का बोझ कम करने हेतु गठित यशपाल समिति की सिफारिशों को अब तक किन-किन राज्यों द्वारा स्वीकार किया गया है;

(ख) सरकार द्वारा बच्चों के ऊपर पाठ्यक्रमों का मानसिक एवं भौतिक भार कम करने के लिए राज्य सरकारों को क्या-क्या सुझाव दिये गए हैं तथा स्वयं केन्द्रीय सरकार के अधीन विद्यालयों में किन-किन सिफारिशों को लागू किया गया है;

(ग) उक्त समिति की सिफारिशों को लागू करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या एवं किस तरह की मदद दिये जाने का विचार है; और

(घ) इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस तरह की मदद मांगी गई है और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कार्यवाई का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री) (डा० कृपासिंधु भोई): (क) से (घ) यशपाल समिति ने स्कूल के बच्चों के स्कूली बस्ते के बोझ में कमी लाने के सम्बन्ध में कई सिफारिशें की हैं। इन पर विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों